न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर
(पीठासीन अधिकारी :–प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)

राजस्ववाद सं 26 / 2020
जीसीएमएस–2020 / 00051

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.वसु पुत्री भला। 2.देवू पुत्री भला। 3.मफी पुत्री भला। 4.सिणगारी देवी बेवा भला जातियान रेबारी निवासीगण पहाड़पुरा तह–सांचौर जिला सांचौर वगैरह		1.जोरा पुत्र भला। 2.गणेशा पुत्र भला। 3.हरचन्द पुत्र भला। 4.बालका पुत्र भला। 5.उमा पुत्र भला। 6.कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र भला जातियान रेबारी निवासीगण पहाड़पुरा तह–सांचौर जिला सांचौर 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधार तहसीलदार सांचौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

तारीख रजू:– 12.6.2020

1. श्री इब्राहीम शाह प्रार्थी अधिवक्ता।
3. श्री भगवाती प्रसाद बालोत प्रतिवादी सं.02 की ओर से उपस्थित।
4. श्री अमजद खान प्रतिवादी सं.3 ता 6 की ओर से उपस्थित।
5. प्रतिवादी संख्या 1 व 7 एक पक्षीय।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक 8/7/2024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारान को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर सुना गया। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा नम्बर 148,149, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 665, 666, 667, 667 / 743 में खातेदारी घोषणा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किन्तु वादीया द्वारा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान नाम को तथा भूमि रहन होने से विभिन्न बैंको को पक्षकार संयोजित नही किया गया है, जबकि कानून की मंशानुसार प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार संयोजित करना आवश्यक है। ऐसी सुरत में वादीया द्वारा पेश वाद पूर्णतया विधि विरूद्व होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे। वकील वादीया ने उक्त तथ्यो का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र में वादीयागण एवम् प्रतिवादीगण 1 ता 6 स्व. भला की सम्पति के संबंध में पेश किया है, इस कारण अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान बनाने की आवश्यकता नही है। अतः प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे।

हमनें उभय पक्षकरान की बहस सुनी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में वादीयागण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की जमांबदी का अवलोकन एवं अध्ययन किया। वादीयागण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि वादीयागण द्वारा उक्त वाद पत्र में सहखातेदारान जोगा पुत्र विरमा, नावी पत्नी मोडा, रमेश कुमार पुत्र मोडा व बैंक ऑफ बडौदा शॉखा सांचौर, एस.बी.आई. बैंक सांचौर, आर.एम.जी.बी.बैंक सांचौर, को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। वादीया अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादीगण पक्ष में वीरमा के वारिशान को पक्षकार संयोजित नही किया गया है, क्योंकि उनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि एक बारगी इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावें, तो भी सभी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सांचौर एवं एस.बी.आई सांचौर तथा आर.एम.जी.बी. बैंक, सांचौर को रहन रखी हुई है, जिससे भी बैंकरों का हित उक्त भूमि में हितबद्व है। इन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 09 अनुसार – **कुसंयोजन और असंयोजन** :– कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नही होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है: परन्तु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.23 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना (Impload) आवश्यक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामजूर कर दिया जाएगा

(क). जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नही करता है;

(ख). जहां वादकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ). जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(ड़).

(च).

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया के आदेश 01 नियम 9 का पालना नही कर बैंको व वीरमा के वारिशों को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार संयोजित नही किया जाता है, अतः यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। प्रतिवादी द्वारा न्यायिक नजरी आर.आर. डी.2005 पेज 450 भरतसिंह बनाम नाथुसिंह पेश की। हमने उपर्युक्त न्यायिक नजीर का ससम्मान अध्ययन–अवलोकन किया और प्रकरण के न्याय निर्णयन में इसका समुचित प्रयोग किया। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र, वादीयागण के जवाब बहस और राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि भूमि एस.बी.आई, बैक,शाखा सांचौर, बैंक ऑफ बड़ौदा सांचौर एवं आर.एम.जी.बी.बैंक, सांचौर के रहन है और इन बैकों को पक्षकार नही बनाया गया है। यह निश्चय करने के लिए कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार है या नही,सही मापदण्ड निर्धारित करते हुए (1) ए.आई.आर. 1953 सु.को.521 (2) ए.आई.आर.1963 इलाहाबाद 126(पूर्णपीठ) (3) आर.आर.डी.1955 पेज 751 में निर्धारित किया गया है कि –

(1) **कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है या नहीं–सही मापदण्ड–** यह निश्चिय करने के लिए कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नही इस प्रकार है–

6. उस कार्यवाही में अर्न्तकलित मामले के बारे में ऐसे पक्षकार के विरूद्व कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए आधिकार हो, और 2- ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नही हो।

   ये दानों पूरे होने आवश्यक है।

7. **खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वाद–** सह काश्तकार के पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित नहीं की जा सकती। खातेदारी के हकों की घोषणा के दावे में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। (डिक्रीयॉ व आदेश किए गए)

इस प्रकार उपर्युक्त वाद में बैंको का हित निहित होने व बैंको की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नही होने से प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.बखूबी साबित होने से हम इसे स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचनुसार प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी. पी.सी. साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद पत्र वादीयागण का धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का नामंजूर किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.23 17:07:48 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक ....8/7/2024.......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर–सांचौर जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner